"बिज़नेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 287] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 23 नवम्बर 2012—अग्रहायण 2, शक 1934

कृषि विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 23 नवम्बर 2012

अधिसूचना

क्रमांक एफ-2-2/2011/14-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ कृषि राजपत्र (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 2011 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं. जो राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में संलग्न अनुसूची तीन को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है—

अनुसूची-तीन
(नियम 8 देखिये)

सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के लिए अर्हता

विभाग का नाम (1)	सेवा तथा पदों का नाम (2)	न्यूनतम आयु सीमा (3)	उच्च आयु सीमा (4)	शैक्षणिक अर्हताएं (5)
कृषि विभाग	छत्तीसगढ़ कृषि (राजपत्रित) सेवा सहायक संचालक, कृषि.	21 वर्ष	30 वर्ष	मान्यता प्राप्त कृषि विश्वविद्यालय से कृषि में द्वितीय श्रेणी स्नातकोत्तर उपाधि.

टीप :— छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी उम्मीदवारों के लिए उच्च आयु सीमा समय-समय पर शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी किए गए निर्देश अनुसार शिथिलनीय होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पारसनाथ राम, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 23 नवम्बर 2012

क्रमांक एफ-2-2/2011/14-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना दिनांक 23-11-2012 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पारसनाथ राम, उप-सचिव.

Raipur, the 23rd November 2012

NOTIFICATION

No. F-2-2/2011/14-1.—In exercise of the powers conferred by the provisions by Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby makes the following amendments in the rules, relating to the Chhattisgarh Agricultural (Gazetted) Services Recruitment Rules, 2011. The amendment shall come into force with effect from the date of its publication in the official Gazette.

AMENDMENT

In the above mentioned rules Schedule 3 is substituted as follows :

SCHEDULE-III
(See Rule-8)

Qualification for Direct Recruitment

Name of Department (1)	Name of Service and Name of Post (2)	Minimum age limit (3)	Maximum age limit (4)	Educational Qualification (5)
Agriculture Department	Chhattisgarh Agricultural (Gazetted) Services Assistant Director of Agriculture.	21 Year	30 Year	Second Division Master Degree in Agriculture from a recognized University.

Note :—Higher age limit shall be applicable for local candidates of Chhattisgarh State as per direction issued by General Administration Department time to time.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
PARASNATH RAM, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.